# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

**पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार(आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 27/2023 | दायर दिनांक 04.02.2023 | निर्णय दिनांक 26.09.2023

उनवान

1. श्रीमति चंचल पत्नि सम्पतकुमार रांका महाजन, निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री चान्दमल पुत्र डालचन्द रांका महाजन निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवतीलाल पुत्र भंवरलाल चपलोत निवासी अग्रसेन कालोनी आजादनगर भीलवाडा।
2. गोपाल कुमावत पुत्र मियाराम कुमावत निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. भैरूलाल पुत्र कन्हैयालाल बलाई निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति राधा साहु पत्नि चन्द्रप्रकाश साहु जाति तेलड निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
5. छीतर पुत्र केशु ढोली निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्रीमति नाथीदेवी पत्नि गोकल कुमावत निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
7. देबीलाल पुत्र मोहनलाल बलाई निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
8. श्रीमति सम्पति पत्नि ईश्वर ढोली निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
9. शंकर पुत्र बालू दरोगा निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
10. बद्री पिता छोगा दरोगा निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
11. देबीलाल पुत्र मोहन दरोगा निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
12. गोदु पुत्र देवा गुर्जर निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
13. अशोक कुमार कोठारी पुत्र———————— जाति जैन निवासी बाजार नं0 02 भीलवाडा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थीगण उदय सिंह दरोगा
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

## —:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::—

## —:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू अभिलेख निरीक्षक कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 1315 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 1374, 1381, 1382, 2321, 2326, 2343 कुल किता 06 कुल रकबा 2.744 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं।

और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 12 के विरूद्ध दिनांक 13.06.2023 को एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 13 आदिनांक को बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थी संख्या 13 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू अभिलेख निरीक्षक कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 1315 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 1374, 1381, 1382, 2321, 2326, 2343 कुल किता 06 कुल रकबा 2.744 हैक्टेयर भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमाकंन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे। पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा